

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



हिन्दी अधिकारी
Hindi Officer

ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: /रा.भा./2026/ति.रि./ ५०९९

29 जनवरी, 2026

प्रतिष्ठा में,

संयुक्त सचिव
राजभाषा अनुभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002।

विषय - तिमाही प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर से दिसम्बर, 2025।

महोदय,

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर से दिसम्बर, 2025) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के सूचना प्रबंध प्रणाली पर ऑन लाईन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग के ई-मेल rajbhasha.ugc@gmail.com पर प्रेषित कर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

संतोष सोहगौरा

संयुक्त कुलसचिव एवं
राजभाषा अधिकारी (प्र.)

संलग्नक - राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

प्रतिलिपि: -

1. संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक (राजभाषा), राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, (राजभाषा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002
4. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, 52 ए, निर्माण सदन, कमरा नं. 206, द्वितीय तल अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462011
5. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

दिसम्बर माह को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता : डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड 07582 फोन नं. 297118 ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

1. माननीय मंत्री जी को भेजी गई फाइलों का ब्यौरा

- i. तिमाहीके दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फाइलें भेजी गई : लागू नहीं
ii. इसमें से कितनी फाइलें हिन्दी में भेजी गई : लागू नहीं

2. सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फाइलों का ब्यौरा

- i. सचिव/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गई : लागू नहीं
ii. इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिन्दी में की गई/कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए : लागू नहीं
iii. सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात : लागू नहीं
iv. हिन्दी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या : लागू नहीं

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

क- जारी दस्तावेज की कुल संख्या	:	63
ख- द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेज की संख्या	:	63
ग- केवल अंग्रेजी में जारी किए गये दस्तावेज	:	निरंक
घ- केवल हिन्दी में जारी किए गए दस्तावेज	:	निरंक

(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिनियम, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुमतिपत्र, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिन्दी) में जारी)

4. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिन्दी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	:	2092
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	:	356
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी/द्विभाषी में दिए गए	:	1736
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	:	निरंक

5. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
क क्षेत्र से	733	513	73	147
ख क्षेत्र से	90	71	16	3

6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
क क्षेत्र को	2119	383	2502	84%
ख क्षेत्र को	231	138	369	62%
ग क्षेत्र को	0	0	0	0%

7. फाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा

हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	:	1513
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	:	287
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या	:	1800
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या	:	38

(*हिन्दी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।)

(**मद संख्या 4, 5 व 6 के संबंध में हिन्दी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

8. हिन्दी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या अधिकारी कर्मचारी	
1	2	3
01	08	31

नोट : कार्यालयों में हर कर्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि : 12 दिसम्बर, 2025

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या : निरंक

(ग) अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या : निरंक

(घ) क्या इन बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए ? हां/नहीं

10. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि : लागू नहीं

11. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 कैरेक्टर)

i.	नवोन्मेषी कार्य	
ii.	विशिष्ट आयोजन/उल्लेखनीय कार्य	1. दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर की द्वितीय छमाही बैठक में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा प्रकोष्ठ, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर को सम्मानित किया गया।
iii.	हिन्दी माध्यम में किये गए अन्य आयोजन	1. राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 19.11.2025 को 'हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान' विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2. दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

12. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

यशवंत सिंह ठाकुर

प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर

कुलपति

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

(07582) 264796

फैक्स नम्बर :

(07582) 264163

ई-मेल का पता :

vc@dhsgsu.edu.in

यशवंत सिंह ठाकुर

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : ofmp 1879

वित्तीय वर्ष : 2025-26

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न दिसम्बर माह को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

प्रमाणित किया जाता है
कुलपति/Vice-Chancellor
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
(मोहर सहित) Dr. Harsingh Gour Vishwavidyalaya
सागर (म.प्र.) Sagar (M.P.) 470003

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर

पदनाम कुलपति

कार्यालय का नाम डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

दूरभाष/फैक्स 07582-264796

ई-मेल का पता vc@dhsgsu.edu.in

हस्ताक्षर

तिथि :-

स्थान :- सागर (म.प्र.)

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।